

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक : M-PRO-2018-00071

प्रकरण दर्ज दिनांक-02.07.2018

श्रीमति कृष्णा घोष एवं सुश्री सागरिका घोष विरुद्ध मेसर्स मनिहारी बिल्डर्स एण्ड डेव्हलपर्स, रायपुर
अनुग्रह रेसीडेंसी, फेस-एन.ए. रिंग रोड नं.-2, रिलायंस पेट्रोल पम्प के पास, गुढ़ियारी रोड, रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर																				
23/07/2018	<p>– प्रकरण प्रस्तुत।</p> <p>– प्रकरण में आवेदिकागण की ओर से श्रीमति कृष्णा घोष उपस्थित।</p> <p>– अनावेदक अपने अधिकृत प्रतिनिधि श्री किशोर वर्मा के माध्यम से उपस्थित।</p> <p>– प्रकरण का अवलोकन व परिशीलन किया। प्रस्तुत प्रकरण में आवेदिकागण द्वारा अनावेदक के रिंग रोड नं.-2, रिलायंस पेट्रोल पम्प के पास, गुढ़ियारी, रायपुर (छ.ग.) स्थित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में "अनुग्रह रेसीडेंसी" में प्लैट क्रमांक-ई-804 क्रय करने हेतु 11,73,000/- रुपये में सौदा किया गया था। प्रश्नाधीन प्लैट हेतु आवेदिकागण द्वारा अनावेदक को कुल 10,67,430/- रुपये का भुगतान किया गया था। उभय पक्षों के मध्य इस हेतु दिनांक 04.08.2016 को विक्रय अनुबंध निष्पादित किया गया था। प्रस्तुत प्रकरण में आवेदिकागण द्वारा उक्त प्लैट की बुकिंग निरस्त कर उनके द्वारा भुगतान की गई सम्पूर्ण राशि वापस दिलाने की प्रार्थना की गई है। अनावेदक द्वारा उक्त अनुरोध स्वीकार कर आवेदिकागण को उनके द्वारा भुगतान की गई सम्पूर्ण राशि निम्नानुसार वापस किया गया :-</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th>दिनांक</th> <th>चेक नंबर</th> <th>राशि</th> <th>बैंक</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>27.06.2018</td> <td>000875</td> <td>92,300/-</td> <td>बैंक ऑफ बड़ोदा</td> </tr> <tr> <td>04.07.2018</td> <td>000880</td> <td>9,50,130/-</td> <td>एच.डी.एफ.सी बैंक</td> </tr> <tr> <td>04.07.2018</td> <td>000882</td> <td>25,000/-</td> <td>बैंक ऑफ बड़ोदा</td> </tr> <tr> <td></td> <td>कुल राशि</td> <td>10,67,430/-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>– प्रकरण में उभय पक्षों द्वारा उक्त आशय का राजीनामा भी प्रस्तुत किया गया है।</p> <p>– आवेदिकागण ने भी सम्पूर्ण राशि वापस प्राप्त करने तथा प्रस्तुत शिकायत पर कोई अन्य कार्यवाही नहीं चाहने के संबंध में लिखित आवेदन प्रस्तुत किया है।</p>	दिनांक	चेक नंबर	राशि	बैंक	27.06.2018	000875	92,300/-	बैंक ऑफ बड़ोदा	04.07.2018	000880	9,50,130/-	एच.डी.एफ.सी बैंक	04.07.2018	000882	25,000/-	बैंक ऑफ बड़ोदा		कुल राशि	10,67,430/-		
दिनांक	चेक नंबर	राशि	बैंक																			
27.06.2018	000875	92,300/-	बैंक ऑफ बड़ोदा																			
04.07.2018	000880	9,50,130/-	एच.डी.एफ.सी बैंक																			
04.07.2018	000882	25,000/-	बैंक ऑफ बड़ोदा																			
	कुल राशि	10,67,430/-																				






छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक : M-PRO-2018-00071

प्रकरण दर्ज दिनांक-02.07.2018

श्रीमति कृष्णा घोष एवं सुश्री सागरिका घोष विरुद्ध मेसर्स मनिहारी बिल्डर्स एण्ड डेव्हलपर्स, रायपुर
अनुग्रह रेसीडेंसी, फेस-एन.ए. रिंग रोड नं.-2, रिलायंस पेट्रोल पम्प के पास, गुढ़ियारी रोड, रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	<p>– प्रस्तुत विचाराधीन प्रकरण में उभय पक्षों के मध्य आपसी राजीनामा होने तथा आवेदिकागण द्वारा वांछित राशि वापस प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की आवश्यकता न होने से प्रकरण समाप्त कर निराकृत किया जाता है।</p> <p>– उभय पक्षों को आदेश की प्रति उपलब्ध कराकर प्रकरण नस्तीबद्ध करते हुए अभिलेखागार भेजा जावे।</p> <p> (राजीव कुमार टम्हा) सदस्य भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण छत्तीसगढ़, रायपुर</p> <p> (विवेक ढाँड) अध्यक्ष भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण छत्तीसगढ़, रायपुर</p>	<p> (कृष्णा घोष) Krishna Ghosh</p>

